N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0275 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/11/2024 18:38 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 27/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:20 बजे **Time To (समय तक):** 13:40 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/11/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/11/2024 18:38:02 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** karyalya rajkiye prtham sreni, chikitsalya rupwas bharatpur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** naresh singhal

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** amarchand

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1970 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	sedpura, rupwas, खेडली मोड, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	sedpura, rupwas, खेडली मोड, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	sourabh kumar gupta		पिता:purushotam narayan gupta	1. 33,nikhil state,shastripuram, आगरा,उत्तर प्रदेश,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जिला भरतपुर (राज0) विषय- रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने के क्रम में। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है के मैं प्रार्थी नरेश सिंघल पुत्र श्री अमरचंद उम्र 54 साल जाति वैश्य ग्राम सैदपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर थाना गहनोली मेाड का रहने वाला हूं , मैने पीएनबी खानवा बैंक से भैंसो के लोन के लिए एक फार्म भरा जिसके वेरीफिकेषन के लिए मै पशु चिकित्सक सौरभ गुप्ता जो रूपवास पशु चिकित्सालय में बतौर पशु चिकित्सक तैनात है के पास गया उन्होने मुझसे चार भैंसो के पांच सौ रूपये भैंस के हिसाब से कुल 2,000 रूपये की मांग की मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं। मेरा सौरभ गुप्ता पशु चिकित्सक से कोई लडाई झगडा नही है और ना ही कोई विवाद है और नाही कोई लेनेदेन बकाया है। श्रीमानजी से निवेदन है कि कार्यवाही कराने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी नरेश सिंघल पुत्र श्री अमरचंद जाति वैश्य नि. सैदपुरा जिला भरतपुर थाना गहनोली मोड मो0 [redacted] दिनांक 25.11.24,एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 25.11.24, एसडी दीपक कुमार 26.11.24, एसडी मनीष जैन 26.11.24। कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 25.11.2024 समय - 12.20 पी.एम पर परिवादी श्री नरेश सिंघल पुत्र श्री अमरचंद उम्र 54 साल जाति वैश्य ग्राम सैदपुरा तहसील रूपवास पुलिस थाना गहनोली मेाड जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड एवं पीएम किसान योजना में लोन सम्बंधी दस्तावेजों की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं नरेश सिंघल पुत्र श्री अमरचंद उम्र 54 साल जाति वैश्य ग्राम सैदपुरा तहसील रूपवास पुलिस थाना गहनोली मेाड जिला भरतपुर का रहने वाला हूं , मैने पीएनबी खानवा बैंक से भैंसो के लोन के लिए एक फार्म भरा जिसके वेरीफिकेशन के लिए मै पशु चिकित्सक सौरभ गुप्ता जो रूपवास पशु चिकित्सालय में बतौर पशु चिकित्सक तैनात है के पास गया उन्होने मुझसे चार भैंसो के पांच सौ रूप्ये भैंस के हिसाब से कुल 2,000 रूप्ये की मांग की मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं। मेरा सौरभ गुप्ता पशु चिकित्सक से कोई लडाई झगडा नही है और ना ही कोई विवाद है और नाही कोई लेनेदेन बकाया है। श्रीमानजी से निवेदन है कि कार्यवाही कराने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित ह,ै मजीद दरियाप्त पर परिवादी ने लोन के सम्बंध में बताया कि यह लोन पशुओं के चारे पानी के लिए मिलता है। मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इसके बाद समय 12.58 पी.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय के मालखाने से श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 से निकलवाकर परिवादी श्री नरेश सिंघल को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री विनोद सिंह कानि नं. 114 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी नरेश सिंघल को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यों सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मंाग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं श्री विनोद सिंह कानि. को परिवादी की निजी कार से राजकीय पशु चिकित्सालय रूपवास जिला भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.00 पीएम पर श्री विनोद सिंह कानि. उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया। श्री विनोद सिंह कानि. से वॉईस रिकॉर्डर को जरिये फर्द प्राप्त किया गया तो विनोद सिंह कानि. ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं और परिवादी श्री नरेश सिंघल कार्यालय से परिवादी की निजी कार से रवाना होकर राजकीय पशु चिकित्सालय रूपवास के पास पहुंचकर वॉइस रिकॉर्डर चालू कर एवं अपना परिचय देकर परिवादी श्री नरेश सिंघल को सुपुर्द कर आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता के पास रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया , बाद सत्यापन परिवादी राजकीय पशु चिकित्सालय से बाहर आया जिससे वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित कर अपने पास रखा । परिवादी ने बताया कि मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई हैं उन्होने मेरे 1,000/-रू दौराने बातचीत ले लिये हैं। और बाकी 1,000/-रू लोन फाइल को सत्यापन करते समय लेंगे। उक्त बातचीत को मैने वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है और परिवादी ने बताया कि मुझे घर पर आवश्यक

कार्य है इस कारण मैं आपके साथ नही चल सकता जिस पर आपके निर्देशानुसार मैं रूपवास से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया हूं। परिवादी ने कल दिनांक 26.11.24 को सुबह की आने की कहा है। श्री विनोद सिंह कानि. से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर कर चालु कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इस पर वॉईस रिकॉर्डर मय एस डी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। इसके बाद दिनांक 26.11.2024 समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री नरेश सिंघल उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि मैं रिश्वत राशि के 1,000/-रू लेकर आ गया हूं। जिस पर परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 10.10 ए.एम.पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवश्यकता होने पर श्री गोकुलेश कानि0 454 को स्वतन्त्र गवाह को लाने हेतु तहसीलदार तहसील कार्यालय भरतपुर के पदनाम तहरीरी जारी कर तहसील कार्यालय भरतपुर रवाना किया गया। इसके बाद समय 10.40 ए.एम. पर श्री गोकुलेश कानि0 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा मय गवाहान के उपस्थित कार्यालय आया। जिनसे मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः दीपक कुमार पुत्र श्री खैमसिंह उम्र 33 साल जाति जाट निवासी जहांगीरपुर पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय भरतपुर जिला भरतपुर एवं मनीष जैन पुत्र सतीश चन्द जैन उम्र 26 साल जाति जैन निवासी 2 ग 2 हाउसिंग बोर्ड कृष्णा नगर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय जिला भरतपुर होना बताया जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री नरेश सिंघल से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही टे्रप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 25.11.2024 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से टे्रप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 10.50 ए.एमः पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री नरेश सिंघल पुत्र श्री अमरचंद उम्र 54 साल जाति वैश्य ग्राम सैदपुरा तहसील रूपवास पुलिस थाना गहनोली मेाड जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 02 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 1,000/- रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः- नोटों के नम्बर 6 SG 846679, 1 ET 977744 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 221 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री नरेश सिंघल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह मनीष जैन से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 1000/-रूपये के नोटों को श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 221 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दांयी तरफ की साईड की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री दीपक कुमार से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 221 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टे्रप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 11.20 एएम पर श्री दिलीप कुमार कानि.,श्री रितेश कुमार कानि. ,श्री परसराम कानि., श्री विनोद कुमार कानि. मय परिवादी नरेश सिंघल के परिवादी की

निजी गाडी से रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय अवधेश कुमार हैडकानि. नं. 68, श्री गोकुलेश कानि. नं. 454 के अपनी निजी कार मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के राजकीय पशु चिकित्सालय रूपवास जिला भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। इसके बाद समय 11.45 एएम पर परिवादी श्री नरेश सिंघल ने अपने मोबाइल से आरोपी के मोबाइल पर कॉल कर वार्तालाप की तो आरोपी ने बताया कि आज मैं बाहर हूं कल मिलूंगा, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम मय स्वतंत्र गवाहान परिवादी व अपनी निजी कार से मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के गहनौली मोड से वापस एसीबी कार्यालय भरतपुर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय- 12.10 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा उपस्थित कार्यालय आया। रिश्वती राशि 1000/-रू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी के पहनी हुई पेंट की दाहिने जेब से श्री देवेन्द्र सिंह कानि. नं. 221 द्वारा निकलवाई जाकर एक लिफाफे में रखकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। ट्रेप बॉक्स को सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद समय 12.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने बताया के मैं कल आपको रूपवास ही मिल जाउंगा जिस पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत देकर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 27.11.24 समय 12.15 पीएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान को कॉल कर तलब किया गया जो उपस्थित कार्यालय आये जिनको कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 12.20 पीएम पर कल दिनांक 26.11.24 को कार्यालय की आलमारी में रखवाई गई नम्बरी रिश्वती राशि 1,000 रू के लिफाफे को जरिये कानि0 श्री सुशील कुमार नं0 557 से निकलवा कर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवा कर रिश्वती राशि को लिफाफे सहित ही श्री सुशील कुमार कानि0 के पास रखवाया जाकर श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68, परसराम कानि0 203, श्री विनोद सिंह कानि0 114, श्री रितेश कुमार कानि0 64 को श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 की निजी कार से आगे आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय श्री दिलीप कुमार कानि.,श्री सुशील कुमार कानि0 557 के अपनी निजी कार मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के राजकीय पशु चिकित्सालय रूपवास जिला भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय 01.10 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा परिवादी के बताये गये स्थान कस्बा रूपवास पहुंचा जहां परिवादी श्री नरेश सिंघल अपनी निजी कार के साथ मौजूद मिला। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री सुशील कुमार कानि0 से नम्बरी रिश्वती राशि को परिवादी के पहने हुए पेन्ट की दांयी तरफ की साईड की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात श्री सुशील कुमार कानि0 को कार्यालय के लिये बाद हिदायत रवाना किया जाकर मौके से रवाना होकर राजकीय पशु चिकित्सालय रूपवास जिला भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय- 01.30 पी.एम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय टे्प टीम के कार्यालय राजकीय पशु चिकित्सालय रूपवास के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये वॉईस रिकॉडर मय एसडी कार्ड को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर आरोपी से मिलने कार्यालय राजकीय पशु चिकित्सालय रूपवास के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री परसराम कानि0 व इनके पीछे पीछे श्री दिलीप सिंह कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष टे्प पार्टी सदस्यों के कार्यालय राजकीय पशु चिकित्सालय रूपवास के मुख्य गेट के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। इसके बाद समय 01.40 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री नरेश सिंघल के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय रूपवास के मुख्य दरवाजे से अन्दर प्रवेश किया जहां चिकित्सालय भवन के अंदर परिवादी श्री नरेश सिंघल व दो अन्य व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे हुए थें। परिवादी से पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने कुर्सियों पर बैठे दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर मन अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि ये सौरभ कुमार गुप्ता चिकित्सा अधिकारी है जिसने अभी अभी मेरे से रिश्वत के 1000/- रूपये अपने दांये हाथ में लेकर अपने बांये हाथ से अपनी पहनी हुई पेट की बांयी तरफ की जेब में रख लिए है। इस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान, जाप्ता व परिवादी द्वारा बताए गये कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति से अपना व हमराहीयान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र श्री पुरूषोत्तम लाल गुप्ता जाति वैश्य उम्र 55 साल निवासी मं.नं. 33 निखिल स्टेट शास्त्रीपुरम पुलिस थाना शास्त्रीपुरम सिकन्दरा जिला आगरा हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय रूपवास जिला भरतपुर होना बताया, जिनसे परिवादी नरेश सिंघल से 1000 रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो आरोपी

सौरभ कुमार गुप्ता पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि परिवादी श्री नरेश सिंघल की भैंस बीमार थी मैं इनके गांव गया था वहां इनकी भैंस को देखकर आया था जिसमें मैंने दवाई दी थी व मेरी फीस के रूपये हैं मैंने इनसे कोई रिश्वत नही ली है और ना ही कोई मांग की थी। नरेश सिंघल मेरे पास एक-दो दिन पहले आये थे। इस पर पास में बैठे परिवादी श्री नरेश सिंघल ने आरोपी की बताई बातों का खण्डन करते हुए बताया कि सौरभ कुमार गुप्ता चिकित्सा अधिकारी झूठ बोल रहे हैं इन्होने मेरे से मेरी चार भैंसों के चारा पानी के लोन के आवेदन फॉर्म को सत्यापित करने की एवज में 500/-रू प्रत्येक पशु के हिसाब से 2,000/-रू रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे थे जिस पर दिनांक 25.11.2024 को मैं आपके कार्यालय गया व एक शिकायत पेश की जिस पर आपके द्वारा सत्यापन करवाया गया , दौराने सत्यापन श्री सौरभ कुमार गुप्ता पशु चिकित्सा अधिकारी ने मेरे से 1,000/-रू ले लिये थे मैं लोन की फाइल को गलती से घर पर ही भूल गया था, शेष 1,000/-रू फाइल के साथ डाक्टर साहब ने देने को कहा था। आज दिनांक को मेरी डाक्टर साहब से मोबाइल पर बातचीत हुई थी डाक्टर साहब ने कहा कि आप अपनी फाइल लेके आ जाओ। इस पर मैंने आपको अवगत कराया , आज इन्होने मेरे से मेरी फाइल को सत्यापित करने की एवज में शेष बचे हुए 1,000/-रू अपने दांये हाथ से लेकर बांये हाथ से अपनी पहनी हुई पेंन्ट की बांयी साइड की जेब में रख लिये रिश्वत राशि 1,000/-रू अभी भी डाक्टर साहब की जेब में रखे हुए हैं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गवाह श्री मनीष कुमार से आरोपी के पेंट की तलाशी लिवाई गई तो पेंट की बांयी तरफ की जेब से 500-500 रूप्ये के दो नोट कुल 1,000/- रू मिले जिनका मिलान फर्द पेशकशी से कराया गया तो नोट हूबाहू पाये गये जिनको गवाह श्री मनीष कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी श्री अवधेष कुमार हैडकानि. नं. 68 द्वारा कराई गई तत्पश्चात आरोपी डाक्टर सौरभ कुमार गुप्ता को डिटेन किया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के मुख्य गेट के पास लगे नल से कार्यालय में रखे कैम्पर से पानी मगवा कर गिलासों को साफ करवाकर एवं साफ पानी मंगवाकर गिलास साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह दीपक कुमार से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः टे्प बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात गवाह श्री मनीष कुमार के पास पूर्व से रखी हुई रिश्वत राशि 1,000/-रू का मिलान पुनः पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तत्पश्चात टे्प बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसे साफ कराकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल श्री दीपक कुमार से तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता के पेंट को उतरवाकर पहनने के लिए पायजामा दिया जाकर पेंट को उल्टा कर पेंट की बांयी तरफ की जेब को उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पीपी-1 व पीपी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात पेंट का अवलोकन किया गया तो बरंग क्रीम कलर एवं पेंट की पीछे की जेब के ऊपर freelance का स्टीकर लगा हुआ है। उक्त पेंट को सुखवाकर पेंट की बांयी तरफ की जेब संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पीपी' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता से परिवादी के कार्य से संबंधित फाइल के संबंध में पूछा तो उन्होने अपनी कार्य करने की टेबल से मुडी हुई अवस्था में कुछ दस्तावेजात पेश किये जिनको जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी के

सरकारी आवास की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया एवं श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को जरिये टेलीफोन सरकारी गाडी व जाप्ता के साथ टेªप कार्यवाही स्थल राजकीय पशु चिकित्सालय रूपवास पर आने की हिदायत दी गई। इसके बाद समय 03.30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान समक्ष आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र श्री पुरूषोत्तम लाल गुप्ता जाति वैश्य उम्र 55 साल निवासी मं.नं. 33 निखिल स्टेट शास्त्रीपुरम पुलिस थाना शास्त्रीपुरम सिकन्दरा जिला आगरा हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय रूपवास जिला भरतपुर को परिवादी नरेश सिंघल की चार भैंसों के चारा पानी के लोन के आवेदन फॉर्म को सत्यापित करने की एवज में 500/-रू प्रत्येक पशु के हिसाब से 2,000/-रू रिश्वत की मांग करना व दौराने सत्यापन श्री सौरभ कुमार गुप्ता पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा परिवादी से 1,000/-रू लेना व शेष रिश्वत राशि 1,000/-रू अपने दांये हाथ से लेकर बांये हाथ से अपनी पहनी हुई पेंन्ट की बांयी साइड की जेब में रखना जहां से रिश्वत राशि 1,000/-रू प्राप्त होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री दीपक कुमार से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक वीवो कम्पनी का मोबाईल जिसमेें एक जीओ व एक वोडाफोन की सिम जिनके नं0 क्रमशः [redacted] एवं [redacted] की डली हुई है एवं जामा तलाशी में 280/- रूपये नगद मिले जिनके संबंध में पूछा तो आरोपी ने स्वयं के खर्चे के होना बताये। आरोपी के पास मिली राशि के संबंध में संतोषप्रद जबाब देने पर उक्त राशि व मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार पशु चिकित्सालय रूपवास में पदस्थापित कर्मचारी दिगम्बर सिंह को संभलाया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना भी कर्मचारी दिगम्बर सिंह को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.00 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने परिवादी श्री नरेश सिंघल को प्रधानमंत्री किसान योजना के अन्तर्गत मिलने वाली लोन सम्बंधी फाइल पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो फाइल में कुल 12 पेज हैं । पेज सं. 01 पर कार्यालय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय खानुवा जिला भरतपुर से सम्बंधित पीएनबी बैंक में पी.एम. किसान योजना का आवेदन पत्र है जिस पर पशु पालक श्री नरेश सिंघल अंकित है एवं आवेदन में चार भैंसो का विवरण दर्ज है। पेज सं. 02से 09 तक लोन आवेदन पत्र है एवं पेज सं. 10-12 पर क्रमशः परिवादी का आधार कार्ड की छायाप्रति , पीएनबी बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं राशन कार्ड की छायाप्रति सलंग्न है। फाइल की कार्यवाही हाजा में वजह सबूत आवश्यकता होने पर फाइल की बाजार से फोटोकॉपी करवाई जाकर मौके पर ही उपस्थित राजकीय पशु चिकित्सालय के कार्मिक श्री दिगम्बर सिंह पशु चिकित्सा सहायक से उक्त फाइल की छायांप्रति को प्रमाणित करवाई जाकर फाइल के प्रथम एवं अंतिम पेज पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं मूल फाइल को श्री दिगम्बर ंिसह को सुपुर्द की गई। फर्द जप्ती पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.20 पीएम पर श्री पूर्व से तलब शुदा श्री रविकुमार हैड कानि0, श्री संतोष कुमार हैड कानि0 , श्री गोकुलेश कानि0, सत्येन्द्र कुमार कानि0 मय सरकारी गाडी टवेरा मय चालक मनोज कुमार के उपस्थित आये। इसके बाद समय 04.30 पीएम इस समय घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 05.00 पीएम पर श्री संतोष हैडकानि. , श्री रविकुमार हैड कानि. , श्री सतेन्द्र कानि., श्री सुरेश कुमार कानि. मय टवेरा सरकारी चालक श्री मनोज कुमार कानि. मय गिरफ्तार शुदा आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर आरोपी को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात कराते हुए एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचने की हिदायत देकर रवाना कर श्री अवधेश कुमार हैडकानि. , श्री दिलीप कुमार कानि. , श्री गोकुलेश कानि., श्री विनोद कुमार कानि. मय परिवादी के श्री अवधेश कुमार हैड कानि. की निजी कार से आगे-आगे रवाना कर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय टेªप टीम मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के अपनी निजी कार से एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना होता हूं। इसके बाद समय 05.50 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय समस्त टेªप टीम मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा। जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट, को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया । इसके बाद समय 06.30 पीएम पर श्री संतोष कुमार हैड कानि0 , श्री रवि कुमार हैड कानि., सुरेश कुमार कानि., श्री सतेन्द्र सिंह कानि. मय सरकारी गाडी मय चालक के आरोपी का आर.बी.एम.हॉस्पीटल भरतपुर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर एवं पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवा कर एसीबी चौकी उपस्थित आये। इसके बाद समय 06.40 पी. एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 25.11.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के एसडी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर वॉइस रिकॉर्डर में डालकर वॉइस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर

नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 06.45 पी.एम.पर वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के मध्य दिनांक 25.11.24 को हुई वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में श्री विनोद सिंह कानि. नं. 114 से रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार कराया गया। सीडी की और दो सीडियॉ तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 7.50 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 25.11.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 07.55 पी.एम. पर रिकार्ड वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 27.11.2024 के वाईस रिकार्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 08.00 पी.एम. पर परिवादी नरेश सिंघल से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में श्री गोकुलेश कानि0 से रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार कराया गया। सीडी की और दो सीडियॉ तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम -1" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 9.00 पी.एम. पर वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 27.11.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 09.15 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 63 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री दीपक कुमार को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। आरोपी ने अपना पूर्ण पता सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र श्री पुरूषोत्तम लाल गुप्ता जाति वैश्य उम्र 55 साल निवासी मं.नं. 33 निखिल स्टेट शास्त्रीपुरम पुलिस थाना शास्त्रीपुरम सिकन्दरा जिला आगरा हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय रूपवास जिला भरतपुर बताया जबकि आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता के मुताबिक सेवा रिकॉर्ड के पिता का नाम श्री पुरूषोत्तम नारायण गुप्ता है। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र श्री पुरूषोत्तम नारायण गुप्ता जाति वैश्य उम्र 55 साल निवासी मं.नं. 33 निखिल स्टेट शास्त्रीपुरम पुलिस थाना शास्त्रीपुरम सिकन्दरा जिला आगरा हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय रूपवास जिला भरतपुर को परिवादी नरेश सिंघल की चार भैंसों के चारा पानी के लोन के आवेदन फॉर्म को सत्यापित करने की एवज में 500/-रू प्रत्येक पशु के हिसाब से 2,000/-रू रिश्वत की मांग करना व दौराने सत्यापन श्री सौरभ कुमार गुप्ता पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा परिवादी से 1,000/-रू लेना व शेष रिश्वत राशि आज दिनांक 27.11.24 को 1,000/-रू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने व रिश्वत राशि 1,000/-रू बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) का

अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री, अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र श्री पुरूषोत्तम नारायण गुप्ता उम्र 55 साल निवासी मं.नं. 33 निखिल स्टेट शास्त्रीपुरम पुलिस थाना शास्त्रीपुरम सिकन्दरा जिला आगरा हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय रूपवास जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 409 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1517-20 दिनांक 28-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2-शासन सचिव पशुपालन विभाग जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/11/2024 18:47:27

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)